राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 46 / 2020

1. नाथूराम पुत्र श्योकरण उम्र 69 वर्ष
2. बीरबल पुत्र श्योकरण उम्र 67 वर्ष
3. धर्मचन्द पुत्र श्योकरण उम्र 57 वर्ष
4. रामनिवास पुत्र श्योकरण उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी रूपा का बास तन् चींचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादीगण

ब–ना–म

1. कमला देवी पत्नी बुद्धाराम
2. जयकिशन पुत्र प्रभातीलाल
3. देवीलाल पुत्र प्रभातीलाल
4. बलराम पुत्र झूंथाराम
5. मेवा देवी पत्नी प्रभातीलाल
6. रामेश्वर लाल पुत्र चन्दगीराम
7. रामस्वरूप पुत्र शीशराम – मृतक

7/1 बिरमा देवी पत्नी रामस्वरूप उम्र 48 वर्ष
7/2 पूनम कुमारी पुत्री रामस्वरूप उम्र 30 वर्ष
7/3 रिता कुमारी पुत्री रामस्वरूप उम्र 27 वर्ष
7/4 अनुप पुत्र रामस्वरूप उम्र 23 वर्ष
7/5 जितेन्द्र पुत्र रामस्वरूप उम्र 21 वर्ष

8. रोहिताश पुत्र चन्दगीराम – मृतक

8/1 सीमा देवी पत्नी रोहिताश उम्र 55 वर्ष
8/2 नीलम कुमारी पुत्री रोहिताश उम्र 32 वर्ष
8/3 नीरज कुमारी पुत्री रोहिताश उम्र 27 वर्ष
8/4 राजेश पुत्र रोहिताश उम्र 25 वर्ष

9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रभातीलाल
10. मन्जू पत्नी रामेश्वर
11. संदीप पुत्र श्योपाल
12. दीपचन्द पुत्र श्योपाल
    जाति जाट निवासी रूपा का बास तन चिंचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ... जरिये शाखा प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

.......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णय :– **दिनांक 19–07–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–04–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम रूपाकाबास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 100 खसरा नंबर 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 कुल किता 8 कुल रकबा 5.06 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि धर्मपाल पुत्र शिवकरण के स्थान पर धर्मचन्द पुत्र श्योकरण, नाथा पुत्र शिवकरण के स्थान पर नाथूराम पुत्र श्योकरण, बीरबल पुत्र शिवकरण के स्थान पर बीरबल पुत्र श्योकरण व रामनिवास पुत्र शिवकरण के स्थान पर रामनिवास पुत्र श्योकरण दुरूस्त किया जाकर वादीगण प्रत्येक का 1/16–1/16 अर्थात् संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का तथा ग्राम चुन्दाड़ा स्थित भूमि खाता सं. 75 के खसरा नंबर 300 रकबा 1.32 है. में वादीगण प्रत्येक का 1/16–1/16 अर्थात् संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/2187 दिनांक 17.06.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–06–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–9'' व प्रदर्श–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक [illegible] प्रस्ताव दिनांक 17–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–9'' व प्रदर्श–''ब'') के अंतिम [illegible] किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–9'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–9'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' दर्ज की जावे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner